गन्ने पर सियासी दांव और मिलों एवं बैंकों के साथ टकराव

कारोबारी मंत्र

भूपेश भन्डारी

उत्तर प्रदेश के गन्ना संकट ने बैंकों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। राज्य सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को काबू में रखने को कहा है। प्रदेश सरकार ने इन बैंकों पर आरोप लगाया है कि वे राज्य के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य और पंजाब नैशनल बैंक के चेयरमैन के आर कामत ने राज्य के मुख्य सचिव आलोक रंजन को भेजे पत्र में लिखा था कि राज्य सरकार गन्ने की कीमतों को वाजिब करे अन्यथा चीनी मिलों को दिया गया उनका कर्ज फंस जाएगा। इन दोनों बैंकों ने ही इस क्षेत्र को करीब 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज दिया हुआ है। रंजन ने पिछले महीने के अंत में इन बैंकों को संदेश देने की जरूरत के साथ वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा कि, 'राज्य की आंतरिक नीति में किसी भी तरह का दखल उचित नहीं है।' यह चीनी क्षेत्र को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि 'इससे लाखों किसान जुड़े हुए हैं', जो 'उन्हें उत्तेजित कर सकता है।' यह जानकारी द फाइनैंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दी गई है।

उत्तर प्रदेश हर साल कीमत तय करता है, जिसके आधार पर चीनी मिलें किसानों से गन्ना खरीद सकती हैं। राजनीतिक कारण से यह हमेशा बढ़ा रहता है। इससे किसानों के लिए गन्ना सबसे आकर्षक फसल बन जाती है। पिछले कुछ वर्षों में गन्ने के रकबे में भारी बढ़ोतरी हुई है। इससे मिलों के लिए मुश्किल हो गई है। उनमें से अधिकांश के पास किसानों के लिए भुगतान की व्यवस्था नहीं है। बकाया बढ़कर 2,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इस मसले को सुलझाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख रहे रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने एक राह सुझाई थी कि गन्ने के भाव को चीनी की कीमतों से संबद्ध कर दिया जाए, चीनी की कीमतों में जितनी बढ़ोतरी हो गन्ने के दाम भी उतने बढ़ा दिए जाएं या फिर इसके विपरीत। मिलों को यह सही लगा। फिलहाल चीनी की कीमत 28.50 रुपये प्रति किलोग्राम है, जिसके अनुसार गन्ने का भाव 230 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस साल गन्ने के भाव का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है, जो पिछले साल 280 रुपये प्रति क्विंटल था। ऐसे में जब तक गन्ने की वाजिब कीमत तय नहीं की जाती, तब तक मिलों का परिचालन शुरू करने से हिचकना स्वाभाविक है।

यहीं कहानी में बैंकों का प्रवेश होता है। कार्यशील पूंजी के लिए मिलें उन पर निर्भर हैं। गारंटी के तौर पर बैंक चीनी के भंडार को रखते हैं। सितंबर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार इन भंडारों पर पहला हक किसानों का है। उनके बकाये का भुगतान होने के बाद ही बैंकों की बारी आएगी। बैंकों को डर है कि इससे उनके भुगतान में देरी होगी। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अर्जी भी लगाई, जो खारिज हो गई। इसने चीनी उद्योग को बैंकों के लिए मुश्किल बना दिया। इसलिए गन्ने की उचित कीमत का उनके लिए महत्त्व बढ़ गया। मिलों के लिए भी संकेत शुभ नहीं हैं। एसबीआई की भट्टाचार्य ने पत्र में यही लिखा कि जब तक 'प्रदेश सरकार चीनी उद्योग की 'आर्थिक व्यवहार्यता' सुनिश्चित नहीं करती, तब तक बैंकों के लिए उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के लिए और वित्तीय सुविधा मुहैया कराना मुमकिन नहीं होगा।'

महाराष्ट्र और कर्नाटक रंगराजन फॉर्मूला अपना चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश में गन्ने की कीमतें नहीं घटतीं तो इन दोनों राज्यों की मिलों को एक किलो चीनी की कीमत पर 5 से 6 रुपये का लाभ मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की मिलों को डर है कि इन राज्यों की मिलें देश के उत्तरी और पूर्वी इलाकों को अपने उत्पाद से भर देंगी, जो परंपरागत रूप से उसका बाजार रहा है। अगर कर्नाटक से दिल्ली या कोलकाता तक चीनी की ढुलाई तकरीबन 2 रुपये प्रति किलो आती है, तब भी वह उत्तर प्रदेश की मिलों से 3 से 4 रुपये प्रति किलो सस्ती होगी, जिंस बाजार में कीमतों में इतना अंतर बहुत मायने रखता है।

गन्ने की कीमतों के पूरे मामले को सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव की अगुआई में एक समिति गठित की थी, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। सियासी रूप से संवेदनशील इस दौर में गन्ने की कीमतों को घटाने के लिए बहुत साहस की दरकार होगी। चीनी उद्योग के दिग्गज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के पुरोधा मुलायम सिंह यादव से मिल चुके हैं लेकिन उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला। अक्टूबर के अंत तक मिलों के चलने की उम्मीद थी लेकिन अभी तक कुछ होता नहीं दिख रहा। अगर दिसंबर के मध्य तक मिलें नहीं चलतीं तो किसानों का गुस्सा फूट सकता है। उन्हें फसल में लगी अपनी रकम वसूलनी होगी और अगली फसल के लिए खेत को खाली भी करना होगा। तमाम गन्ना किसानों ने तो 150 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर भी गुड़ और खांडसारी इकाइयों को गन्ना बेचना शुरू कर दिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार और मिलों के बीच अविश्वास की खाई बेहद चौड़ी हो गई है। पिछले साल 280 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में मिलों को 260 रुपये तक अदा करना था, जबकि अन्य 11 रुपये का भुगतान राज्य की ओर से निर्धारित था। अगर मिलों को नुकसान होता तो शेष रकम की भरपाई भी राज्य सरकार को करनी पड़ती। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने कहा कि मिलों को उनके नुकसान के लिहाज से केवल 6 रुपये प्रति क्विंटल की क्षतिपूर्ति देने की दरकार है। मिलों ने इसका एक सुर में मुखर विरोध किया और कहा कि उन्हें प्रति क्विंटल 40 से 45 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

पिछले साल भी इस मसले पर मिलों और सरकार के बीच कलह हुई थी, जिस पर सरकार ने पिछले वर्ष के स्तर को बरकरार रखा था। मगर यथास्थिति भी इस साल मिलों को संतुष्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि पिछले साल 30.50 रुपये प्रति किलो के चीनी के भाव इस साल गिरकर 28.50 रुपये तक पहुंच गए हैं। गन्ने की कीमत अदा करने में मिलों की हालत पिछले साल से भी पतली है। विकल्प बेहद सीमित हैं। मगर यथार्थ पर राजनीति ही हावी हो सकती है।

Business Standard
12/11/14